

**निदेशक मण्डल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की
265वीं बैठक दिनांक 05, मार्च 2024**

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की 265वीं बैठक मा० अध्यक्ष, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद श्री नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

- | | | |
|----|---|---------|
| 1. | श्री नितिन रमेश गोकर्ण, अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग | अध्यक्ष |
| 2. | श्री डा० बलकार सिंह, आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| 3. | डा० नीरज शुक्ला, अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आ०वि०परिषद | सदस्य |
| 4. | श्री महेश चन्द्र पाण्डेय वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आ०वि०परिषद | सदस्य |
| 5. | श्री दीपक सिंह, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, वित्त/उपाध्यक्ष, ल०वि०प्रा० | सदस्य |
| 6. | श्री डी०वी० सिंह, मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| 7. | श्री संजीव कश्यप, मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद | सदस्य |
| 8. | श्री स्मिता निगम, प्रतिनिधि, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, | सदस्य |
| 9. | श्री कल्याण बनर्जी, प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०। | सदस्य |

विषय सूची


**निदेशक मण्डल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की
265वीं बैठक दिनांक 05 मार्च, 2024 का कार्यवृत्त**


विषय सूची

मद सं०	विषय	अनुभाग	निर्णय
265/1	परिषद की 264वीं बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।	समन्वय	परिषद की 264वीं बैठक दिनांक 18 जनवरी 2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
265/2	परिषद की 264वीं बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2024 की अनुपालन आख्या।	समन्वय	परिषद की 264वीं बैठक दिनांक 18 जनवरी, 2024 की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।
265/3	परिषद मुख्यालय के अन्तर्गत उ०प्र० पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि० के माध्यम से संचालित सुरक्षा सेवा विस्तार के सम्बन्ध में।	समन्वय	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
265/4	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में नियुक्त विधि परामर्शदाता का सेवाकाल विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

h






265/5	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में स्थापित विधि अनुभाग में ओ०एस० डी० विधि का सेवाकाल विस्तारित किये जाने के संबंध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
265/6	श्री कैलाश चन्द्र श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता को अधीक्षण अभियन्ता के पद पर नियमित प्रोन्नति किये जाने हेतु अर्हकारी सेवा अवधि 05 वर्ष की सीमा में 06 माह शिथिल किये जाने तथा अनिवार्य 02 वर्ष की "नॉन फील्ड जॉब" की अवधि को शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। प्रदेश शासन की प्रतिक्रिया की जाये। 
265/7	श्री राजेश कुमार मेहतानी, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की सेवाएं परिषद में ओ०एस०डी० के पद पर अनुबन्धित किये जाने सम्बन्ध में।	प्रशासन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
265/8	वित्तीय वर्ष-2023-24 के पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष-2024-25 हेतु प्रस्तावित आय-व्ययक की व्याख्यात्मक टिप्पणी।	वित्त एवं लेखा	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाए जिससे प्राप्तियों और व्यय का अनुश्रवण भी किया जा सके।
265/9	राज्य कर विभाग, शाहजहांपुर द्वारा मांग किये जाने के दृष्टिगत परिषद की बरेली मोड योजना सं०-3, शाहजहांपुर में कार्यालय भवन उपयोग हेतु वयावसायिक भूखण्ड के आवंटन के संबंध में।	सम्पत्ति अनुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
265/10	जनपद वाराणसी में प्रस्तावित "वर्ल्ड सिटी एक्सपो" भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना की नियोजन समिति द्वारा की गयी कार्यवाही तथा परिषद अधिनियम-1965 की	भूमि अर्जन	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण का पुनर्परीक्षण कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।


L



 2

	धारा-31(1) के अन्तर्गत स्वीकृति के संबंध में।		
265/11	मैसर्स प्रतीक रियलटर्स इण्डिया प्रा० लि० के प्रार्थना पत्र दिनांक 26-02-2024 के अनुरोध के क्रम में परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में स्थित बल्क सेल भूखण्ड सं०-4 बी०एस०-1 एवं बल्क सेल भूखण्ड सं०-4बी०एस०-5 पर निर्माण हेतु समयवृद्धि एवं एफ०ए०आर० क्रय किये जाने के संबंध में।	सम्पत्ति अनुभाग	सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि यदि भविष्य में इनके द्वारा कोई डिफाल्ट किया जाता है तो उन्हें अन्य कोई अनुतोष देय नहीं होगा।

h 

अनुमोदित,

 11/3/24
 (नितिन रमेश गोकर्ण)
 अध्यक्ष